

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3960

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

3960. श्री मनीश तिवारी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड की स्थापना नवंबर 2025 में की गई थी जबकि अध्यक्ष और चार सदस्यों के पदों के लिए मई 2026 में ही आवेदन आमंत्रित किए गए थे, देरी के क्या कारण हैं और किस समय तक नियुक्तियां किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या अधिनियम के तहत किसी कंसेंट मैनेजर का पंजीकरण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पंजीकरण ढांचे को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) नवंबर 2025 से सरकार को प्राप्त व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचनाओं और शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विशेषकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण निवासियों और दिव्यांगजनों के बीच डेटा प्रिंसिपल के रूप में उनके अधिकारों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ): डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") में डिजिटल वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण का इस तरह से प्रावधान किया गया है जो व्यक्ति के अपने वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित अधिनियम, और डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") में डेटा संरक्षण बोर्ड ("बोर्ड") की स्थापना सहित अठारह महीने की संक्रमण अवधि में इसके प्रावधानों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक समयरेखा प्रदान की गई है। नियम निम्नलिखित कार्यान्वयन समयसीमा निर्दिष्ट करते हैं:

● चरण 1: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना और संचालन

- अधिसूचित सूचना के अनुसार, बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति एक खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 6 जून 2026 को रोज़गार समाचार में प्रकाशित किया गया था।

- बोर्ड को डिजिटल तरीके से कार्य करना होगा।
- चरण 2 (एक वर्ष के भीतर): सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण और कार्य
- चरण 3 (अठारह महीनों के भीतर): डेटा प्रत्ययी के लिए अनुपालन दायित्व, जिसमें डेटा प्रमुख अधिकार, संरक्षा सुरक्षोपाय और उल्लंघन अधिसूचना शामिल हैं।

सरकार ने कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञ सत्रों और डिजिटल आउटरीच अभियानों सहित नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों और क्षमता निर्माण पहलों के बारे में शिक्षित करके डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने और इसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
